Government of India Ministry of Railways (Railway Board)

Bharat Sarkar Rail Montralaya

No.E(NG)1-77 PM1/11.

New Delhi, dt: 3 -11-1977

The General Managers, All Indian Railways.

Sub: Filling up vacancies of Traffic Apprentices and Commercial Apprentices.

In Board's letter No.E(NG)III-72 RR1/18
dated 18.3.1972 it has been, inter alia, envisaged
that 10% of the vacancies of Traffic and Commercial
Apprentices should be filled on the basis of limited
departmental examination from amongst Class III staff
of Commercial and Transportation departments (other
than ministerial staff) who are graduates and not
over 33 years of age. The Ministry of Railways
have now decided that henceforth the above-said
upper age-limit shall be 35 years instead of 33 years.

Please acknowledge receipt.

(K.N. Kapoor)

Dy. Director, Establishment

Railway Board.

Copy to:

E(NG)III, E(Rep)I, II & III, E(P&A)I & II Branches of Board's Office.

भारत सर**ार** रेल मैत्रालय (रेलवे वोर्ड)

सं. ई (एव ज़ी) 1-77 पी एम । /।।

वयी दिली दिवाँ छ-।।-77

महाप्रवादाः, समी भारतीय रेतें ।

विषय:- ट्रैफ्ट अपरेटिसों और ामशीयत अपरेटिसों ी रिक्तियों ी पूर्ति।

वोर्ड के पत्र सं. ई (एव. जी) ॥ 72 आर. आर. । / 18 दिवां 183.72 में अब्य वातों के अतिरिक्त, यह प्रावशाव भी किया गया है कि ट्रैफ्क और वास शियल अपरेक्टिसों की रिक्तियों का 10% काम शियल और यातायात विभागों में काम कर रहे (मिलिस्टीरियल कर्मवारियों को छोड़ कर) उंउ वर्ष से कम अवस्था वाले स्वातकों द्वारा सीमित विभागीय परीशा के माध्यम से भरा जाये । रेल मैत्रालय ने अव लिया है कि आगे से उक्त उन्हीं आयु सीमा उउ वर्ष के स्थाव पर उ5 वर्ष होगी ।

ृष्या पावती हैं।

ंतेल पदी (े. एवं, ठेपूर) उप विदेशक, खापवा, रेलवे बोर्ड

पतिलिपि '''

वोर्ड े ई (एव. जी)॥,ई (रिप)।, ॥ और ॥ तथा इ (पी. एष्ड ए)। तथा॥ ो प्रेषित ।